<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-53/2021/टोंक

गडूल खां पुत्र श्री रमजु खां, जाति नागोरी मुसलमान निवासी टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

-अपीलांट

बनाम

1. इस्माइल पुत्र अब्दुल हकीम
2. रूबिना बानो पुत्री सुल्तान खां
3. शेरबानो पुत्री सुल्तान खां
4. शराफत हुसैन पुत्र सुल्तान खां
5. शाहिना बानो पुत्री सल्तान खां
6. सरदार खां पुत्र अकबर खां
7. हुरा पत्नि सुल्तान खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिंह जिला टोंक।

-रेस्पोंडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह दिनांक 09.06.2021 प्रकरण संख्या 106/2021 बउनवानी इस्माइल वगैरह तहसीलदार/लैण्ड होल्डर।</u>

<u>उपस्थित अभि0:-</u>

1. अपीलांट अभि0- श्री ए0एस0राठौड़
2. राजकीय अभि0- श्री अशोक अग्रवाल

<u>निर्णय</u>

दिनांकः-30.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट 1 से 7 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष एक प्रकरण 106/2021 इस्माइल एवं अन्य बनाम तहसीलदार के नाम से एल0आर0एक्ट की धारा 128 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 949/6841 रकबा 0.07 हे0 ग्राम टोडारायसिंह की पत्थरगढ़ी बाबत निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई निर्णय करते हुए दिनांक 09.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु निर्णय प्रदान किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की गई-

1. रेस्पोडेंट को चारागाह भूमि आर[illegible] खसरा [illegible] 949/6841 में रकबा 0.07 हे0 का धारा 128 एल0आर0एक्ट अधिनियम के प्रा[illegible] पत्र [illegible] अवैधानिक रूप से खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान किया है। जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:58 IST
Reason: SelfAttested

2. खसरा नम्बर 949/6841 के समीप अपीलांट [illegible] भूमि खसरा नम्बर 9[illegible] रकबा 0.05 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें अपीलांट क मकान बाड़े बने हुए है तथा पत्थरगढ़ी की आड़ में रेस्पोडेंट उसकी सम्पति को नष्ट करने का इरादा रखता है। अंत में निवेदन किया है कि अपील

अपीलांट स्वीकार की जायें तथा अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह दिनांक 09.06.2021 निरस्त किया जाये तथा खसरा नम्बर 949/6841 को चारागाह दर्ज किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर ,अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 09.06.2021 के विरूद्व वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त निर्णय 128 एल0आर0एक्ट के तहत दिया था। वर्तमान में विवादित खसरा नम्बर रेस्पोडेंट की खातेदारी में है। उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 1341 थे। पुराने नक्शे में उक्त चारागाह भूमि रास्ते के पास पश्चिम दिशा में थी तथा वर्टीकल आकार में थी अब यह होरीजोंटल आकार में बना दी गई। धारा 128 एल0आर0एक्ट के प्रकरण में तरमीम का आदेश नही दिया जा सकता है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार उसकी खातेदारी से खसरा नम्बर 947 पर अप्रार्थीगण सख्त आमादा हो गये है। जिससे प्रार्थी व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षो के मध्य न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। दिनांक 12.07.2021 को अभिभाषक महोदय द्वारा उन्हें निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 13.08.2021 को प्राप्त की तथा तुरंत अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में उक्त अपील 18.08.2021 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार 949/6841 से जुड़ा हुआ खसरा नम्बर 947 प्रार्थी का है। जहां उन्होने मकान व बाड़े बना रखे है। पत्थरगढ़ी के आदेश की आड़ में वे प्रार्थी को नुकसान पहुंचाना चाहते है। अतः अपीलाधीन आदेश के निर्णय की पालना स्थगित रखी जायें तथा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2073-76 ग्राम टोडारायसिंह खाता संख्या नया 1580 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 949/6841 रेस्पोडेंट के नाम सहखातेदारी में दर्ज है तथा उन्हीं के द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अनुसार भूमि चूंकि इनके [illegible] खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। अतः वह अपनी खातेदारी में पत्थरगढ़ी करवाने के [illegible] है।

अपीलांट द्वारा अन्य विचाराधीन प्रकरण [illegible] सुल्तान [illegible] बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट सपठित नियम 59,60 लैण्ड रिकोर्ड [illegible] खां बनाम सुल्तान खां दावा, घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा तहसीलदार टोडा द्वारा निर्णित एल0आर0एक्ट की धारा 91 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:58 IST
Reason: SelfAttested

तहत गडूल खां के विरूद्ध निर्णित प्रकरण विधान क्षेत्रफल, जमाबंदी खाता नम्बर 43,292 ग्राम टोडारायसिंह तथा गांव के नक्शे जारी दिनांक 29.09.2015 आदि प्रदर्शित किये। परंतु उक्त दस्तावेज अन्य न्यायालयों के प्रकरणों के दिखाई पड़ते है। वर्तमान प्रकरण से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध कोई सुसंगत तथ्य अथवा अपील के आधार प्रस्तुत नहीं किये गये।

न्यायालय का यह मानना है कि अपीलाधीन आदेश उचित है और नियम के तहत जारी किया गया आदेश है। अपीलाधीन प्रकरण में कोई तरमीम की आज्ञा दिया जाना एवं चारागाह में खातेदारी दिया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा जो तथ्य अपील में बताये गये है। वे अन्य न्यायालय प्रकरणों से संबंधित है। चूंकि विवादित खसरा नम्बर रेस्पोडेंट की खातेदारी का है। अतः अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह प्रकरण संख्या 106/2021 बउनवानी इस्माइल वगैरह बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह निर्णय दिनांक 09.06.2021 अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:58 IST
Reason: SelfAttested